

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/246-2001-वि0 I (3) दिनांक चण्डीगढ़ 10-7-2001

बाबा बन्दा बहादुर पब्लिक स्कूल, रोहतक

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 100% स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागिय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक

अम

दिनांक चण्डीगढ़ 13-7-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक को उनके पत्र क्रमांक 1356-5-2001/1356 दिनांक 11-6-2001 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक बाबा बन्दा बहादुर पब्लिक स्कूल, रोहतक।
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्प्यूसिटी सैन्टर प्रीत ब्रिहार, नई दिल्ली- 11002.

Secretary,

Baba Banda Bahadur Public School
ROHTAK

Principal

Baba Banda Bahadur Public School
Jind Road, Rohtak (40429)

अधीक्षक विद्यालय-13/5

कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.